न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00372 (3/2014) 75 एलआरएकट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), संगरिया जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र त्रिलोचन जाति जटसिख सा0 शेरगढ तहसील हनुमानगढ।
2. दरबारा सिंह पुत्र चाकर सिंह जाति रायसिख सा0 नवां तह0 हनुमानगढं
3. जस्सासिंह पुत्र चाकर सिह जाति रायसिख सा0 नवां त0 हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया कैम्प मानकसर, दिनांक 14.12.2010 प्रकरण संख्या 14/2010 बअनवानी प्रार्थना पत्र श्री गुरदीप सिह पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह कस्टोडियन रकबे क्रयशुदा की सनद लेने बाबत।

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 20.3.28

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 14 एमकेएस खाता सं0 138/116 की कुल 0.590

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)

Scanned with OKEN Scanner

है0 भूमि आवंटी जरिये इकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि को सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये नियमन आदेश जारी किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है, परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि चाकर सिह के वारिस के नाम से बतौर अलॉटी दर्ज है, उन्हें बिना पक्षकार बनाये असल आवंटी की जांच किये बिना अपीलाधीन निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई। मूल आवंटन पत्रावली भी तलब नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त बाबत कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये ना ही विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण होना भी सिद्ध नहीं। निर्णय होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली विधिक परीक्षण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर के पास चली गई थी उनक पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज0)

Scanned with OKEN Scanner

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी.एस. आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

5. अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

7. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066 से 69 चक 14 एमकेएस की प0 नं0 172/240 के मु. नं. 48 किला नं. 6, 7, 8 की 0.590 है0 भूमि जस्सा सिह आदि की बतौर अलॉटी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। प्रश्नगत आराजी को जरिये अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 28.09.1996 को श्री गुरदीपसिह पुत्र त्रिलोचन सिंह जाति जटसिख साकिन शेरगढ को बिना स्वीकृति प्राप्त किये बेचान कर दिया है। तहसीलदार, पटवारी हल्का, सिंचाई विभाग की पानी की पर्ची, शपथ–पत्र आदि साक्ष्य के आधार पर भूमि पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 का कब्जा काश्त साबित है। प्रार्थी ने बैयनामा नियमन की परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुसार निर्धारित जमा करवा दी है। धारा 42 का उल्लंघन नही पाया गया है प्रकरण को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखा गया आवंटन सलाहकार समिति के अनुतोदन उपरान्त प्रश्गनत रकबे के नियमन के आदेश पारित किये गये हैं। कमेटी के सदस्य के रूप में स्वयं तहसीदार के हस्ताक्षर हैं। अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों के विपरीत अन्य कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्ण्य में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज0)

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.3.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

20/3/23

(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)